फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

वाद पत्र– अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 एलआर एक्ट मु.नं. 120 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.11.2019	(see below)	2019 / 00213

यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वादी महेन्द्र सिंह पुत्र सांवत सिंह जाति राजपूत निवासी मंगलूणा लह. लक्ष्मणगढ जिला सीकर ने वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम बाघसरा पूर्वी की जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 में नया खाता खंख्या 14 पुराना खाता संख्या 15 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 में नया खाता खंख्या 85 पुराना खाता संख्या 78 में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में खेतसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत निवासी मंगलूणा दर्ज है। जो गलत है। वादी के पिता का नाम आधार कार्ड परिचय पत्र व अन्य दस्तावेजों के अनुसार वादी के पिता का नाम सांवत सिंह उर्फ खेतसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत निवासी मंगलूणा है। वादी के पिता का नाम सांवत सिंह उर्फ खेतसिंह पुत्र भूरसिंह किया जाने के आदेश फरमावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर उप तहसीलदार सालासर से रिपोर्ट ली गई उप तहसीलदार सालासर ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 में नया खाता खंख्या 14 पुराना खाता संख्या 15 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 में नया खाता खंख्या 85 पुराना खाता संख्या 78 में वादी का नाम खेतसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत निवासी मंगलूणा दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड परिचय पत्र व पटवारी रिपोर्ट के अनुसार वादी के पिता का सही नाम सांवत सिंह उर्फ खेतसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत निवासी मंगलूणा है। जो शुद्ध किया जाना उचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व दस्तावेजात एंव उप तहसीलदार सालासर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बाघसरा पूर्वी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 में नया खाता खंख्या 14 पुराना खाता संख्या 15 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 में नया खाता खंख्या 85 पुराना खाता संख्या 78 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या नया/पुराना	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जानी है)
1	बाघसरा पूर्वी	14/15 85/78	खेतसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत निवासी मंगलूणा	सांवत सिंह उर्फ खेतसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत निवासी मंगलूणा

राहिन की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ व शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा जुलियासर को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/11/19

उपखण्ड़ अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2019.12.02 18:20:56 IST
Reason: SelfAttested